उत्तर प्रदेश शासन
महिला कल्याण अनुभाग-1
संख्या-44/2025/1049924/60-1099/116/2022
लखनऊ::दिनांक:: 07 अगस्त, 2025

कार्यालय ज्ञाप

"उ0प्र0 परिवीक्षा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2004" के परिशिष्ट में पदों हेतु निर्धारित "शैक्षिक अर्हता" के साथ-साथ "समकक्ष अर्हता" का भी प्राविधान है। उक्त समकक्षता के संबंध में चयन संस्थाओं (उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज तथा उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ) द्वारा कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-849/का-2/2021, दिनांक 07.10.2021 एवं शासनादेश संख्या-03/2023/312/47-का-2-312एलसी/2022, दिनांक 19.07.2023 के क्रम में "समकक्ष अर्हता" को स्पष्ट किये जाने की अपेक्षाएं की जा रही हैं। इस संबंध में विभाग द्वारा चयन संस्थाओं को प्रेषित कतिपय अधियाचन लम्बित होने के दृष्टिगत निदेशक, महिला कल्याण द्वारा पदों की "शैक्षिक अर्हता" की "समकक्षत अर्हता" को स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में "उ0प्र0 परिवीक्षा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2004" के परिशिष्ट के क्रमांक-3, 4 व 5 पर उल्लिखित पदों हेतु निर्धारित "शैक्षिक अर्हता" की "समकक्ष अर्हता" का निर्धारण उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से मा0 कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित "समकक्षता समिति" द्वारा किया गया है।

3- प्रकरण में कार्मिक विभाग से प्राप्त अभिमत निम्नवत है:-

> "स्पष्ट किया जाना है कि किसी पद की "शैक्षिक अर्हता" का उल्लेख उस पद के संगत नियमावली में स्पष्ट रूप से किये जाने की व्यवस्था है। सामान्यतः पद के सापेक्ष निर्धारित शैक्षिक अर्हता में समकक्ष अर्हता का भी उल्लेख रहता है। यदि प्रशा0 विभाग उक्त पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता में बिना किसी बदलाव के केवल समकक्ष अर्हता के बिन्दु पर समकक्षता को निर्धारित करने की कार्यवाही करते हैं तो प्रशा0 विभाग सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कार्यकारी आदेश के माध्यम से करने पर विचारण कर सकते हैं।"

4- "उ0प्र0 परिवीक्षा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2004" के परिशिष्ट के क्रमांक-3, 4 व 5 पर उल्लिखित पदों हेतु निर्धारित "शैक्षिक अर्हता" की "समकक्ष अर्हता" का निर्धारण उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से मा0 कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित "समकक्षता समिति" की संस्तुति एवं प्रस्तर-3 में उल्लिखित कार्मिक विभाग के अभिमत के अनुसार प्रश्नगत नियमावली के परिशिष्ट में उल्लिखित "समकक्ष अर्हता" का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्रमांक	सेवा नियमावली के परिशिष्ट का क्रमांक	पद का नाम	उ0प्र0 परिवीक्षा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2004 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता	नियमावली में "शैक्षिक अर्हता" के अन्तर्गत उल्लिखित "समकक्ष अर्हता" का निर्धारण
1	2	3	4	5
1	3	जिला परिवीक्षा अधिकारी/महिला परिवीक्षा अधिकारी/ क्षेत्र	सीधी भर्ती के लिये भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान या समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से Women Studies या Gender Studies में स्नातकोत्तर उपाधि।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		अधिकारी	प्राप्त कोई अर्हता या सामाजिक कार्य की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक कार्य की किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।	
2	4	परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर	सीधी भर्ती के लिये भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान या समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता या सामाजिक कार्य की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक कार्य की किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से Women Studies या Gender Studies में स्नातकोत्तर उपाधि।
3	5	अधीक्षक	सीधी भर्ती के लिये भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान या समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता या सामाजिक कार्य की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक कार्य की किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से Women Studies या Gender Studies में स्नातकोत्तर उपाधि।

5- उक्त प्रस्तर-4 की तालिका का कॉलम-5 "उ0प्र0 परिवीक्षा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2004" के परिशिष्ट के साथ पढ़ा जाएगा।

6- प्रश्नगत कार्यालय ज्ञाप "उ0प्र0 परिवीक्षा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2004" में यथासमय उक्तानुसार संशोधन किए जाने तक प्रभावी रहेगा।

(लीना जौहरी)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(2) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।

(3) उ0प्र0 अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, लखनऊ।

(4) कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम प्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in